न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 12/2018 Rcms No. 2018/00044
दायरा तिथि : 23.03.2018
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 09.03.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 06-9-2021

**वादीगण :–**

1. कन्हैयालाल पुत्र वक्तारामजी
2. श्रीमति संतोष धर्मपत्नि कन्हैयालालजी तमाम जाति मेघवाल
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. श्रीमति गंगा धर्मपत्नि अमरारामजी जाति मेघवाल
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. मगा पुत्र कूपाजी
2. पकाराम उर्फ पकिया पुत्र कूपाजी तमाम जाति मेघवाल
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. श्रीमति नारंगी धर्मपत्नि दिनेशकुमार जाति जटिया
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

**उपस्थिति :–**

1. श्री जयकिशोर लखारा — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 02..... अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार .................. पेरोकार सरकार

**–:: निर्णय ::–** दिनांक : 06-9-2021

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1863 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वार्षिक लगान 3.45 रूपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–01 से 03 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित होने तथा पक्षकार अपने हिस्सो मुजब अपने हिस्से बंट में आई भूमियो पर पृथक–पृथक मौके पर काबिज होने से मौके पर काबिज अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी व प्रतिवादीगण के मौके पर निम्नानुसार कब्जा/बंट बताया–

| क्रंसं0 | नाम खातेदार | विवरण भूमि | | | | नजरी नक्शा में दर्शित रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खसरा नंबर | रकबा | किस्म | लगान | |
| 01 | वादी सं0–01 कन्हैयालाल | 1863/1 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.58 रूपये | हरा रंग |
| 02 | वादी संख्या–02 श्रीमति संतोष | 1863/4 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.57 रूपये | केसरिया रंग |
| 03 | वादी संख्या–03 श्रीमति गंगा | 1863/2 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.57 रूपये | लाल रंग |
| 04 | प्रतिवादी संख्या–01 मगाराम | 1863/3 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.58 रूपये | आसामानी |
| 05 | प्रतिवादी संख्या–02 पकाराम उर्फ पकिया | 1863 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.57 रूपये | पीला रंग |
| 06 | प्रतिवादी संख्या–03 श्रीमति नारंगी | 1863/5 | 0.1150 हैक्टर | बारानी सोयम | 0.57 रूपय | कत्थई रंग |

अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस व खतौनी खाता संख्या 807 ग्राम बेडा, नजरी की प्रति पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W. 01 संतोष पुत्री कन्हैयालाल, गवाह P.W. 02 गंगा पत्नि अमरारामजी व गवाह P.W. 03 कन्हैयालाल पुत्र वक्तारामजी के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या–04 तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने से इनका जबाव अवसर भी बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :12/2018 Rcms No. 2018/00044

अनवान कन्हैयालाल वगैरा बनाम मगाराम वगैरा

**अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1863 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वार्षिक लगान 3.45 रूपये के संबध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के नाम के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनाक 09.03.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, बाली ने विभाजन रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./2021/ 1226 दिनांक 15.07.2021 से प्रेषित करते हुये वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में निम्नानुसार भूमि रखते हुये रिपोर्ट पेश की:–

| क्रसं0 | नाम खातेदार | विवरण भूमि | | | | नजरी नक्शा में दर्शित रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खसरा नंबर | रकबा | किस्म | लगान | |
| 01 | वादी सं0–01 कन्हैयालाल पुत्र वक्ताराम जटिया | 1863/1 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | पीला |
| 02 | वादी संख्या–03 श्रीमति गंगाबाई पत्नि अमराराम | 1863/2 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपये | हल्का हरा |
| 03 | वादी संख्या–02 श्रीमति संतोष पत्नि कन्हैयालाल | 1863/4 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपये | नारंगी |
| 04 | प्रतिवादी संख्या–01 मगाराम पुत्र कूपा जाति जटिया | 1863/3 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | नीला |
| 05 | प्रतिवादी संख्या–02 पकाराम उर्फ पकिया पुत्र कूपा जाति जटिया | 1863 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | गुलाबी रंग |
| 06 | प्रतिवादी संख्या–03 श्रीमति नारंगीदेवी पत्नि दिनेशकुमार | 1863/5 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपय | गहरा हरा |

अपनी रिपोर्ट में समस्त खसरो में रास्ता खसरा नंबर 1824 किस्म गै.मु. रास्ता से उपलब्ध होना बताया। तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री जयकिशोर लखारा की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री जयकिशोर लखारा ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1863 रकबा 0.69 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वार्षिक लगान 3.45 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

| क्रसं0 | नाम खातेदार | विवरण भूमि | | | | नजरी नक्शा में दर्शित रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खसरा नंबर | रकबा | किस्म | लगान | |
| 01 | वादी सं0–01 कन्हैयालाल पुत्र वक्ताराम जटिया | 1863/1 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | पीला |
| 02 | वादी संख्या–03 श्रीमति गंगाबाई पत्नि अमराराम | 1863/2 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपये | हल्का हरा |
| 03 | वादी संख्या–02 श्रीमति संतोष पत्नि कन्हैयालाल | 1863/4 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपये | नारंगी |
| 04 | प्रतिवादी संख्या–01 मगाराम पुत्र कूपा जाति जटिया | 1863/3 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | नीला |
| 05 | प्रतिवादी संख्या–02 पकाराम उर्फ पकिया पुत्र कूपा जाति जटिया | 1863 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.57 रूपये | गुलाबी रंग |
| 06 | प्रतिवादी संख्या–03 श्रीमति नारंगीदेवी पत्नि दिनेशकुमार | 1863/5 | 0.1150 हैक्टर | बारानी दोयम | 0.58 रूपय | गहरा हरा |

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

पेज लगातार.......

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या** :12 / 2018 **Rcms No.** 2018 / 00044
अनवान कन्हैयालाल वगैरा बनाम मगाराम वगैरा
*अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 3.45 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का बेडा प्रथम को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( श्री अतुल प्रकाश )
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 6-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner